

।। कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिवपुरी म0प्र0 ।।

।। आदेश ।।

क्रमांक :390/दो-06-151/2020

शिवपुरी,दिनांक-17/09/2021

श्रीमती शिवानी गुप्ता, सहा. ग्रेड-3 प्रतिलिपि अनुभाग करैरा जिला शिवपुरी को म0प्र0 अवकाश नियम 1977 के नियम-38 के अंतर्गत, दिनांक 20.09.2021 से 18.03.2022 तक कुल 180 दिवस का का प्रसूती अवकाश (विशेष अवकाश) रवीकृत किया जाता है।

प्रसूती अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

अवकाश काल में इनका पद रिक्त रहेगा।


सही/-

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
शिवपुरी,म0प्र0।

पृष्ठा क्रमांक B/2184 /दो 06-151/2020
प्रतिलिपि :-

शिवपुरी,दिनांक-20/09/2021

- 1- प्रभारी अधिकारी प्रतिलिपि अनुभाग करैरा जिला शिवपुरी।
- 2- श्रीमती शिवानी गुप्ता, सहा. ग्रेड-3 प्रतिलिपि अनुभाग करैरा जिला शिवपुरी।
- 3- लेखापाल, लेखा अनुभाग जिला न्यायालय शिवपुरी की ओर सूचनाार्थ प्रेषित।
- 4- जूनियर सिसटम एनालिस्ट, जिला न्यायालय शिवपुरी की ओर सूचनाार्थ प्रेषित।


30-प्रशासनिक अधिकारी
कार्या प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
शिवपुरी,म.प्र.।